सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश/ पर्यावरण / 2026
नीति परिपत्र सं. 7.4.20/2026 दिनांक 26th अगस्त, 2026
{(ई-ऑफिस फाइल सं. EGHDIV-12030/17/2026-ENV & GHD Division (कम्प्युटर सं. 321959 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/ Environment/ 2026
Policy Circular No. 7.4.20 / 2026 dated 26th August, 2026
{(Decision taken on E-Office File No. EGHDIV-12030/17/2026-ENV & GHD Division (Comp No. 321959)}

विषय: अंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी)/अनंतिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (पीसीओडी) जारी करने से पहले और प्रचालन और अनुरक्षण की अवधि के दौरान वृक्षारोपण दायित्वों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश के संदर्भ में।

Sub: Guidelines for ensuring Compliance of Plantation Obligations prior to Issuance of Provisional Certificate of Completion (PCC)/Provisional Commercial Operation Date (PCOD) and during the O&M Period - reg.

विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि मीडियन और एवेन्यू पर वृक्षारोपण किए जाने पर, जो कि एक अनिवार्य संविदात्मक दायित्व है, अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी)/अनंतिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (पीसीओडी) की अनुशंसा और जारी करते समय अक्सर उचित महत्व नहीं दिया जाता है। वृक्षारोपण और भूसुदर्शनीकरण, राजमार्ग परियोजनाओं की पर्यावरणीय सतता, सौंदर्य और समग्र पूर्णता के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं।

It has been observed during the review of various National Highway Projects that the development of Plantation along the Median and Avenues, which is a mandatory contractual obligation is often not accorded due importance at the time of recommending and issuing the Provisional Certificate of Completion (PCC)/Provisional Commercial Operation Date (PCOD). Plantation and Landscaping are critical components for the Environmental Sustainability, Aesthetic and overall completion of the Highway Projects.

2. संविदात्मक अधिदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, पीसीसी/पीसीओडी जारी करने से पहले सभी संबंधित पक्षों द्वारा कड़ाई से पालन किए जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं

To ensure strict compliance with the contractual mandates, the following Guidelines are hereby issued with immediate effect for strict adherence by all concerned before the issuance of PCC/PCOD:

Contd.....2/-

(a) **दिशा-निर्देशों और नीतियों का कड़ाई से पालन**:- क्षेत्रीय अधिकारी (क्षे.अ.) यह सुनिश्चित करेंगे कि वृक्षारोपण (मीडियन और एवेन्यू) का कार्य संबंधित संविदा/रियायत करार के प्रावधानों, आईआरसी:एसपी:21-2009 में निर्धारित दिशा-निर्देशों, हरित राजमार्ग नीति 2015 और भाराराप्रा/सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी संबंधित परिपत्रों के अनुसार ही किया गया हो। लगाए जाने वाले पौधों की विशिष्टताएँ भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 7.4.16/2024 दिनांक 19 दिसंबर, 2024 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

Strict Adherence to Guidelines and Policies:-The Regional Officers (ROs) shall ensure that the work of Plantation (Median and Avenue) has been executed strictly in accordance with the Provisions of the respective Contract/Concession Agreement, the Guidelines stipulated in IRC:SP:21-2009, the Green Highways Policy 2015 and all other related Circulars issued by NHAI/MoRTH from time to time. The specifications for the Saplings planted should meet the Standards prescribed in NHAI Policy Circular No. 7.4.16/2024 dated 19th December, 2024.

(b) **पीसीसी / पीसीओडी जारी करने के लिए न्यूनतम सीमा**:- अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी)/अनंतिम वाणिज्यिक संचालन तिथि (पीसीओडी) जारी करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्य को निर्धारित अनुपालन स्तर प्राप्त माना जाएगा यदि वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के कम से कम 80% भाग पर वृक्षारोपण किया गया हो और निरीक्षण के समय लगाए गए पौधों की उत्तरजीविता दर कम से कम 90% हो। स्वतंत्र अभियंता/प्राधिकरण अभियंता पीसीसी/पीसीओडी जारी करने की अनुशंसा में इन आवश्यकताओं के अनुपालन को विशेष रूप से प्रमाणित करेंगे।

Minimum Threshold for Issuance of PCC/PCOD:- For the purpose of Issuance of the Provisional Certificate of Completion (PCC)/Provisional Commercial Operation Date (PCOD), Plantation Work shall be considered to have achieved the prescribed level of compliance only if Plantation has been carried out over at least 80% of the available Right of Way (ROW) earmarked for Plantation and the planted saplings exhibit a Minimum Survival Rate of 90% at the time of inspection. The Independent Engineer/Authority's Engineer shall specifically certify compliance with these requirements in the recommendation for Issuance of the PCC/PCOD.

(c) **सहायता और तकनीकी मूल्यांकन**:- वृक्षारोपण कार्यों और उत्तरजीविता दरों के सटीक आकलन, माप और गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने के लिए अंतिम निरीक्षण और आकलन के दौरान पीसीसी/पीसीओडी से पहले क्षेत्रीय अधिकारी, संयुक्त सलाहकार (पर्यावरण और वृक्षारोपण) की सहायता और सलाह लेंगे।

Assistance and Technical Assessment:-To ensure accurate assessment, measurement and quality check of the Plantation works and survival rates, the Regional Officers shall take the assistance and advice of the Joint Advisor (Environment & Plantation) during the final inspections and assessments preceding the PCC/PCOD.

3. स्वतंत्र अभियंता (आईई)/प्राधिकरण अभियंता (एई) और परियोजना निदेशक (पीडी) यह सुनिश्चित करेंगे कि वृक्षारोपण पूर्ण होने की विशिष्ट समय-सीमा के साथ 80% की निर्धारित सीमा से अधिक वृक्षारोपण में किसी भी कमी को पंच लिस्ट में शामिल किया जाए। संविदा/रियायत करार के तहत निर्धारित उचित वित्तीय कटौती तब तक जारी रहेगी जब तक शेष वृक्षारोपण पूरा नहीं हो जाता और वृक्षारोपण लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाता।

The Independent Engineer (IE)/Authority's Engineer (AE) and the Project Director (PD) shall ensure that any shortfall in Plantation beyond the prescribed threshold of 80% is included in the Punch List along with specific timelines for its completion. Appropriate Financial withholdings as provided under the Contract/Concession Agreement shall continue until the balance Plantation is completed and the Plantation target is fully achieved.

Contd.....3/-

4. प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) अवधि के दौरान, (ईपीसी, एचएएम और बीओटी-वार्षिक परियोजनाओं) में ओ एंड एम/वार्षिक भुगतान जारी किया जाना या (बीओटी-टोल परियोजनाओं) में अनुरक्षण अनुपालन का आकलन किया जाना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि सभी वर्षों में न्यूनतम 90% पौधों के जीवित रहने की दर बनी रहे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्षतिग्रस्त पौधों के स्थान पर समान आयु और वृद्धि वाले पौधे लगाए गए हों ताकि वृक्षारोपण की एकरूपता बनी रहे। ऐसे भुगतानों की प्रक्रिया से पहले या संविदा/रियायत करार के तहत क्षतिपूर्ति से बचने के लिए अनुरक्षण अनुपालन प्रमाणित करने से पहले क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्र अनुपालन सत्यापित करने के लिए संयुक्त सलाहकार (पर्यावरण एवं वृक्षारोपण) से परामर्श करेंगे और उनकी तकनीकी सहायता लेंगे।

During the Operations and Maintenance (O&M) Period, the release of O&M/Annuity payments (in EPC, HAM, and BOT-Annuity projects) or the assessment of maintenance compliance (in BOT-Toll projects) shall be strictly contingent upon maintaining a Minimum Survival Rate of 90% across all Years. It must be ensured that any casualty replacements are made with Plants of commensurate age and growth to preserve the uniformity of the Plantation. Prior to the processing of such payments or before certifying maintenance compliance to avoid levy of damages under the Contract/Concession Agreement, the Regional Officers shall consult and seek the technical assistance of the Joint Advisor (Environment & Plantation) to verify field compliance.

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

26/08/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा **मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।**
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
   Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
   Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
   PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.